:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल RAS.
मूकदमा नम्बर 02/2024

भूपेन्द्रसिंह पिता जगतसिंह सिसोदिया निवासी लिखीबड़ी तहसील सीमलवाड़ा जिला—डूँगरपुर राज.।

—प्रार्थी

बनाम

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट शुद्धीकरण कराने बाबत्

उपस्थितः—

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।**

:: आदेश :: दिनांक 14/05/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मौजा लिखीबड़ी का स्थानीय मूल निवासी है। प्रार्थी के पिताजी का नाम जगतसिंह पिता फूलसिंह सिसोदिया जाति डामोर के नाम से राशन कार्ड आधार कार्ड, में भूपेन्द्र सिंह एवं पहचान पत्र आदि में पिता का नाम जगतसिंह लिखा गया है बाकी जमाबंदी में अकेले ही पिता का नाम जवानसिंह पिता फूला डामोर लिखा है। जमाबंदी मौजा लिखीबड़ी में खाता सं. 54 का खेत किता 20 का रकबा 5.6253 हैक्टेयर रकबा संवत् 2073—2076 में जवान पिता फूला का अंकन है, परन्तु वास्तविक नाम लिखना आवश्यक है। जमाबंदी में शुद्धीकरण कर जवान के बजाय जगतसिंह पिता फूलसिंह का अंकन करना आवश्यक व न्याय हित में है। रेकॉर्ड दस्तावेज जमाबंदी में जगतसिंह का नाम अंकित किया जावे। वक्त जरूरत गवाहान भी पेश करूंगा। प्रार्थी के पिताजी जवानसिंह का देहावसान हो चुका है, इनके परिवारी सजरा निम्न है—

स्वं. जगतसिंह सिसोदिया (डामोर)
फोत

भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया (डामोर)	**जाम्बा देवी सिसोदिया (डामोर)**
पुत्र	**पत्नी**

प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत है जो सही व सत्य है। जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया है। इसलिये शुद्धीकरण कर सही नाम जगतसिंह पिता फूलसिंह का अंकन करना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल है कि जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम जवानसिंह पिता फूलसिंह सिसोदिया डामोर की जगह जवान पिता फूला जाति डामोर गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना--पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। **अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।**

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 14/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा